

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय  
(सितम्बर, 2020 सत्र)

(21 से 23 सितम्बर, 2020 तक)

प्रश्नोत्तरों के लिये विभागों के वर्ग, प्रत्येक विभाग के लिए प्रभारी मंत्री, उत्तरों के लिए निश्चित दिनांक तथा उस दिनांक के लिए प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होने का अंतिम दिनांक दर्शाने वाला विवरण

विभाग का नाम	प्रभारी मंत्री	उत्तरों (सदन की बैठक) के लिए निश्चित दिनांक	प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होने का अंतिम दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)

वर्ग-1

गृह	गृह मंत्री		
जेल	---		
संसदीय कार्य	---		
विधि और विधायी कार्य	---		
किसान कल्याण तथा कृषि विकास	किसान कल्याण मंत्री		
जल संसाधन	जल संसाधन मंत्री		
मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास	---		
खेल और युवा कल्याण	खेल और युवा कल्याण मंत्री	21 सितम्बर, 2020	14 सितम्बर, 2020
तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	---		
पशुपालन	पशुपालन मंत्री		
सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण	---		
पंचायत एवं ग्रामीण विकास	पंचायत मंत्री		
उच्च शिक्षा	उच्च शिक्षा मंत्री		
पर्यटन	पर्यटन मंत्री		
संस्कृति	---		
अध्यात्म	---		
उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण		

(1)	(2)	(3)	(4)
<b>वर्ग-2</b>			
सामान्य प्रशासन	मुख्यमंत्री		
जनसम्पर्क	-----"		
नर्मदा घाटी विकास	-----"		
विमानन	-----"		
अप्रवासी भारतीय	-----"		
वित्त	वित्त मंत्री		
वाणिज्यिक कर	-----"		
योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी	-----"		
वन	वन मंत्री		
आदिमजाति कल्याण	आदिमजाति कल्याण मंत्री		
अनुसूचित जाति कल्याण	-----"	22 सितम्बर, 2020	15 सितम्बर, 2020
सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम	सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री		
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	-----"		
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री		
खनिज साधन	खनिज साधन मंत्री		
श्रम	-----"		
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन	औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री		
सहकारिता	सहकारिता मंत्री		
लोक सेवा प्रबंधन	-----"		
ऊर्जा	ऊर्जा मंत्री		
स्कूल शिक्षा	राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा		

(1)	(2)	(3)	(4)
-----	-----	-----	-----

वर्ग-3

लोक निर्माण	लोक निर्माण मंत्री
कुटीर एवं ग्रामोद्योग	-----"
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	खाद्य मंत्री
नगरीय विकास एवं आवास	नगरीय विकास एवं आवास मंत्री
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री
राजस्व	राजस्व मंत्री
परिवहन	-----"
चिकित्सा शिक्षा	चिकित्सा शिक्षा मंत्री
भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास	-----"
महिला एवं बाल विकास	महिला एवं बाल विकास मंत्री
नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री
पर्यावरण	-----"
पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण	राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण
विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जनजातीय कल्याण	-----"
आयुष	राज्य मंत्री, आयुष

23 सितम्बर, 2020 16 सितम्बर, 2020

भोपाल :  
दिनांक : 21 अगस्त, 2020

ए.पी. सिंह  
प्रमुख सचिव,  
मध्यप्रदेश विधान सभा.

नोट :-

1. विवरण के स्तम्भ (3) एवं (4) में उल्लिखित दिनांक स्तम्भ (1) में दिये गये विभागों के सम्पूर्ण वर्ग को लागू होगी.
2. प्रश्नों के उत्तर उपयुक्त प्रारूप में ही भेजे.
3. प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होने का अंतिम दिनांक स्तम्भ (4) में दर्शाया गया है, नियत दिनांक तक उत्तर अनिवार्यतः भेजे जायें।
4. निर्धारित दिनांक तक जिन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त नहीं होंगे ऐसे प्रश्नों को टीप : "मंत्री महोदय की ओर से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ" के साथ प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित करा दिया जायेगा.
5. प्रश्नों के उत्तर ऑनलाईन ही प्राप्त किये जायेंगे तथा यदि संलग्न परिशिष्ट की अधिकतम पृष्ठ संख्या 3 है तो उसकी भी ऑनलाईन स्वच्छ / पठनीय प्रति ही प्रेषित की जाये, किन्तु यदि परिशिष्ट की पृष्ठ संख्या तीन पृष्ठ से अधिक हो तो उसकी पांच प्रतियां सक्षम अधिकारी से अभिप्रमाणित कराकर उत्तर प्रेषण के दिनांक को ही विधान सभा सचिवालय में ऑफलाईन (हार्ड कापी) भेजी जायें.
6. किसी प्रश्न के संबंध में स्पष्टीकरण / परिवर्तन / पुनर्विचार अथवा अन्य विभागों को हस्तांतरण अपरिहार्य हो तो ऐसे अनुरोध प्रश्न प्राप्ति के 3 दिन के अन्दर भेजे जाने चाहिए. उत्तर भेजने की अंतिम तिथि में ऐसे अनुरोध विचारयोग्य नहीं होंगे.

नोट :-

सभी विभागों को यह भी निर्देशित किया जाता है कि कोविड-19 से संबंधित भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश सरकार की गाईड-लाईन की दृष्टिगत रखते हुए मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय में हार्डकॉपी के रूप में प्रेषित किये जाने वाले पुस्तकालय परिशिष्ट के बाहक द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क एवं ग्लब्स पहनकर ही साहित्य का प्रदाय करें।

प्र-1 अ 7837/2020

भोपाल, दिनांक 24.08-2020

प्रतिलिपि :-

- (1) मान. मुख्यमंत्री,
- (2) समस्त मंत्री, राज्यमंत्री,
- (3) मुख्य सचिव,
- (4) शासन के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव

को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित.

ए.पी. सिंह  
प्रमुख सचिव,  
मध्यप्रदेश विधान सभा.